अतारांकित प्रश्न क्र. 4435
माननीय विधायक श्रीमति पारूल साहू केशरी [11/3/2016]
सदन में उत्तर देने का दि॰ 11.03.16

अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 05 अक्टूबर,2015
कार्यवाही विवरण

अन्तर्विभागीय समन्वय समिति सागर की बैठक दिनांक 05 अक्टूबर,2015 को समयसीमा (टी0एल0) की बैठक के बाद कलेक्टर एवं जिला अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) की अध्यक्षता में आयोजित की गयी । बैठक में निम्नानुसार अधिकारीगण उपस्थित हुए :–

1– मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत सागर
2– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,सागर
3– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सागर
4– संयुक्त संचालक,पंचायत एवं सामाजिक न्याय सागर
5– जिला कार्यक्रय अधिकारी,महिला एवं बालविकास सागर
6– आयुक्त,नगरपालिक निगम सागर
7– उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन सागर

कलेक्टर महोदय की अनुमति उपरान्त जन्म–मृत्यु पंजीयन के ऑन लाईन पंजीयन पर संयुक्त संचालक संभागीय योजना एवं सांख्यिकी द्वारा अवगत कराया गया कि :–

सागर जिले के अंतर्गत जन्म–मृत्यु पंजीयन की निम्नानुसार इकाईयॉ कार्य सम्पादित कर रही है :–

नगरीय इकाईयॉ	–	नगरपालिक निगम	–	01
		छावनी परिषद	–	01
		नगरपालिका / नगर पंचायत	–	10
		अस्पताल(जिला / सामु0स्वा0 प्रा0स्वा0केन्द्र / सिविल अस्पताल बीना	–	14
		कुल	–	26
ग्रामीण इकाईयॉ	–	11 जनपद पंचायत अंतर्गत	–	755 ग्राम पंचायत
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	–	04
		प्रा0स्वा0केन्द्र	–	26
		कुल	–	785

एजेण्डा–01 जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्रो का ऑन लाईन प्रदाय करना :–

संयुक्त संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि जन्म–मृत्यु पंजीयन का ऑन लाईन प्रशिक्षण नगरीय क्षेत्र की समस्त 26 तथा ग्रामीण क्षेत्र की समस्त 785 इकाईयों में दिया जा चुका है ।

प्रशिक्षण उपरान्त नगरीय क्षेत्र की समस्त इकाईयों द्वारा ऑन लाईन पंजीयन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है,जिसके अंतर्गत माह जनवरी,2015 से सितम्बर,2015 तक 48856 जन्म–मृत्यु पंजीयन कराये गये जिसमें से 8068 पंजीयन ऑन लाईन हुए है।

एजेण्डा–02 जन्म–मृत्यु पंजीयन शत प्रतिशत करना एवं मासिक प्रगति भेजना :–

संयुक्त संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार शत प्रतिशत जन्म–मृत्यु पंजीयन का कार्य इकाईयों द्वारा सम्पन्न किया जाना चाहिए । उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इकाईयों द्वारा जन्म–मृत्यु पंजीयन के मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे है ।

..............2

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

चर्चा उपरान्त कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये कि:–

(1) शासकीय चिकित्सालयो में होने वाले नवजात के परिवार को उसका जन्म प्रमाण पत्र उसके डिस्चार्ज होने के साथ ही उपलब्ध कराया जावे ।

(2) अस्पतालों में जन्म–मृत्यु का पंजीयन शत प्रतिशत किया जावे । स्वास्थ्य विभाग की reproductal child health (mother & child) बैठक के स्थायी एजेण्डा में इसे सम्मिलित किया जावे। योजना के तहत नियुक्त कर्मचारी द्वारा यह कार्य किया जावे इसके लिए योजना के कम्प्यूटर का उपयोग किया जावे ।

(3) कलेक्टर की अध्यक्षता में होने वाली RCH (mother & child) की समीक्षा बैठक के एजेण्डा में जन्म–मृत्यु पंजीयन स्थायी एजेण्डा के रूप में सम्मिलित किया जावे ।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर)

एजेण्डा–03 जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य में आंगनवाड़ी तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सहयोग :–

संयुक्त संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि जिले की समस्त आंगनवाड़ी तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य में अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है तथा नियमानुसार जन्म–मृत्यु पंजीयन का रजिस्टर तैयार किया जा रहा है ।

चर्चा उपरान्त कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये कि ग्रामीण क्षेत्र में जन्म–मृत्यु पंजीयन का शत प्रतिशत कार्य ऑन लाईन अनिवार्य रूप से कराया जावे ।

(कार्यवाही–समस्त इकाईयॉ ग्रामीण क्षेत्र)

एजेण्डा–04 बिलम्ब पंजीयन शुल्क की मासिक आय का प्रतिवेदन :–

संयुक्त संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि बिलम्ब पंजीयन शुल्क की मासिक कार्य का प्रगति प्रतिवेदन मात्र नगरीय इकाईयों से प्राप्त हो रहा है ।

ग्रामीण क्षेत्र की इकाईयों से बिलम्ब पंजीयन शुल्क की मासिक आय का प्रगति प्रतिवेदन अपेक्षित है ।

चर्चा उपरान्त कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये कि बिलम्ब पंजीयन शुल्क की मासिक आय संबंधी जानकारी प्रत्येक माह समयसीमा में उपलब्ध करायी जावे ।

(कार्यवाही–जनपद पंचायत समस्त)

एजेण्डा–05 अस्पतालो द्वारा मृत्यु के कारणों के चिकित्सीय प्रमाण पत्र नियमित भेजने बाबत :–

संयुक्त संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि जिला चिकित्सालय तथा बुन्देलखण्ड मेडीकल कालेज से मृत्यु के कारणों के चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे है ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो रहे है ।

चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि अस्पतालो में मृत्यु के कारणों के चिकित्सीय फार्म नम्बर–04 अनिवार्य रूप से समयसीमा में प्रेषित किये जावे ।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)

अन्त में कलेक्टर द्वारा बैठक सधन्यवाद समाप्ति की घोषणा की गयी ।

14.10

(अशोक कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला अतिरिक्त
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु)
जिला–सागर

कार्यालय संभागीय योजना एवं सांख्यिकी सागर

पृ0क्र0 3718/संयोसां/2015/ सागर, दिनांक 16 अक्टूबर,2015

प्रतिलिपिः—

1— आयुक्त,आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,म0प्र0विन्ध्याचल भवन भोपाल ।
2— मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत सागर
3— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,सागर
4— सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सागर
5— संयुक्त संचालक,पंचायत एवं सामाजिक न्याय सागर
6— जिला कार्यक्रय अधिकारी,महिला एवं बालविकास सागर
7— आयुक्त,नगरपालिक निगम सागर
8— उप संचालक,सूचना एवं प्रकाशन सागर
9— मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपंद पंचायत,(समस्त)
10— मुख्य नगरपालिका अधिकारी,नगरपालिका/नगर पंचायत,(समस्त)

14.10.15

कलेक्टर एवं जिला अतिरिक्त
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म—मृत्यु)
जिला—सागर

(सीमा जैन)
सहायक संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
मंत्रालय, भोपाल